

ANNX-1 0

कार्यालय, संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।

पत्रांक / मं०स० / मा०शि० / (NOC) अनुभाग / 10507 / 2014. मेरठ दिनांक : 11-7-14
आंशिक संशोधन आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक / मं०स० / मा०शि० / (NOC) अनुभाग / 10507 / मं०स० (138) / 2014 दिनांक 29-01-2014 के द्वारा जे०पी० स्कूल, सेक्टर-128 नौएडा, गौतमबुद्धनगर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त आदेश में अतिवश जे०पी० स्कूल, सेक्टर-128 नौएडा, गौतमबुद्धनगर अंकित हो गया है जबकि विद्यालय का सही नाम जे०पी० पब्लिक स्कूल, सेक्टर-128 नौएडा, गौतमबुद्धनगर है।

अतः इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 29-01-2014 में जे०पी० स्कूल, सेक्टर-128 नौएडा, गौतमबुद्धनगर के स्थान पर जे०पी० पब्लिक स्कूल, सेक्टर-128 नौएडा, गौतमबुद्धनगर पढ़ा जाये।

(अजय कुमार द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।

/ 2014 तद दिनांक।

पू०स० / मं०स० / मा०शि० / (NOC) अनुभाग / 2405-99

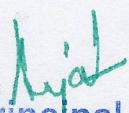
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।
- (2) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (5) प्रबन्धक, जे०पी० पब्लिक स्कूल, सेक्टर-128 नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

(अजय कुमार द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।


Principal
Jaypee Public School
NOIDA (U.P.) 201304


Manager
Jaypee Public School
NOIDA (U.P.) 201304

10/7/14

संख्या- 10507 / मंसो (138) / 2014

प्रेषक,

आशा तोमर
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 29-01-2014

विषय :- जे०पी० स्कूल, सेक्टर-128, नोएडा, गीतमबुद्धनगर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 4-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 15-01-2014 में लिये गये निर्णय तथा मण्डलीय अध्यक्ष के अनुमोदन दिनांक 25-01-2014 के अनुपालन में सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सीकेण्डी एजुकेशन, नई दिल्ली/कोसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क भुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- (10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2-विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्वोरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदी में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3-उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(आशा तोमर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

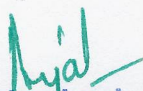
पृष्ठांकन संख्या-10507/मंसो (138)/2014 तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (2) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (4) प्रबन्धक, जे०पी० स्कूल, सेक्टर-128, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

(आशा तोमर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।


Principal
Jaypee Public School
NOIDA (U.P.) 201304


Manager
Jaypee Public School
NOIDA (U.P.) 201304